

31.01.19

वकील प्रार्थी के अधेडन पर
 मह प्रवाकली अधेडन पे कुवे। अधेडन
 मय वकील उपन प्रार्थी दाय एक
 अधेडन इस अधेडन का उल्लुत
 अधेडन कि हलगत प्रकुरण मे पक्षकान
 के मध्य बाजीनाभा लेने ले इस
 प्रकुरण को आगे चलाना नही
 पावत है, लखेजा जरफे कि इ।
 आरिज फरमावे।

जीरसिध

प्रकुर तधयो एवम अधेडन के
 अधेडनपरान्त प्रार्थी का प्रार्थना
 पत्र जरफे कि इ आरिज किमा जाता
 है। प्रकुरण मे जरफे अंतुरमे अधेडन
 अधेडन अधेडन की जाती है। पत्रकान
 अधेडन अधेडन अधेडन अधेडन

सहायक कलेक्टर
 (SDO) बाड़मेर।